(SEBI) foreign brokers have been permitted to transmit orders of purchase/sale on behalf of the Foreign Institutional Investors (FIIs), to the members of the Indian Stock Exchanges. These foreign brokers, however, have not been permitted to become members of the Stock Exchanges in Indl. and hence cannot issue Contract Notes and execute orders themselves from FIIs for purchase and sale.

(b) So far SEBI has granted registration to the following foreign brokers :

(1) James Capel & Co.

(2) Merlin Partners UK Ltd.

(3) Kleinwort Benson Securities (ASIA) Ltd.

(4) Credit Lyonnais Securities (ASIA) Ltd.

(c) The foreign brokers have been allowed to assist the Foreign Institutional Investors (FIIs) in the operational procedures for investment. As the FIIs are more familiar with their own brokers, registration of foreign brokers would help the FIIs to deal more easily in the Indian Securities Market.

APPOINTMENT OF A COMMITTEE BY RESERVE BANK OF INDIA TOO LOOK INTO THE IRDP

@2629-A. SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Reserve Bank of India has appointed a Committee to look into the planning and implementation process of the Integrated Rural Development Programme (IRDP); and

(b) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. ABRAR AHMED) : (a) and (b) Yes, Sir. Reserve Bank of India (RBI) has recently appointed a High Power Expert Committee under the Chairmanship of Shri D. R. Mehta, Deputy Governor to review the progress of Integrated Rural Development Programme (IRDP) and recommend suitable measures for its improvement. The terms of reference of the Committee are as follows :—

(i) To review the present procedure for identification of beneficiaries and suggest changes to ensure proper identification;

(ii) To review the existing system of sponsoring of loan applications ;

(iii) To examine the adequacy of forward and backward linkages the role of Government agencies in ensuring the availability of these linkages to beneficiaries at the proper time and in adequate measure;

(iv) To examine procedures for sanction of loans by banks and suggest improvements to ensure timely and adequate credit being made available ;

(v) To examine causes for poor recovery and suggest measures for improvement in recovery; and

(vi) To examine procedure for disbursement of subsidy under IRDP i.e. switch over from the front-end subsidy to back-end subsidy.

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अग्रिम वेतन-वृद्धि

2629. **श्री कैलाश नारायण सारंग** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को वर्तमान में दिये जा रहे वेतनमान जनवरी, 1986 में संशोधित किए गए थे,

@ Previously Unstarred Question 2648. Transferred from 20-12-93 .

@पूर्वतः अतारांकित प्रश्न सं. 3237; 23 दिसम्बर, 1993 से स्थानान्तरित।

(ख) यदि हां, तो क्या उन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को अग्रिम वेतन वृद्धि देने के संबंध में नियमों में कोई प्रावधान किया गया था, जो जनवरी, 1986 से पूर्व सेवा में आए थे तथा एक वर्ष से अधिक की अवधि से अपने अधिकतम वेतनमान पर वेतन ले रहे थे, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है,

(ग) यदि एक कर्मचारी 1 मई, 1984 को अपने वेतनमान रु. 775-1200 में अधिकतम वेतनमान 1200 रुपये पर वेतन प्राप्त कर रहा था और उसे जनवरी, 1986 से 3000-4500 का वेतनमान दिया गया तो उसका वेतन 1 जनवरी, 1986 को कितना निर्धारित होना चाहिए था और उसकी आगामी वेतन वृद्धि की तारीख क्या होगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखरमूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) नियमों में एक अग्रिम वेतन-वृद्धि देने का प्रावधान किया गया था इसमें यह व्यवस्था है कि "जो व्यक्ति 1 जनवरी, 1986 की स्थिति के अनुसार एक वर्ष से अधिक अवधि से वर्तमान वेतनमान के अधिकतम पर वेतन ले रहे थे, उनके मामले में पुनरीक्षित वेतनमान में अगली वेतन-वृद्धि 1 जनवरी, 1986 से दी जाएगी।"

(ग) 775-1200 रु. के संशोधन-पूर्व वेतनमान के पदों के लिए सामान्य पुनरीक्षित वेतनमान 2000-3500 रु. है न कि 3000-4500 रु. 01 मई, 1984 से 1200 रुपये के वेतन पाने वाले सरकारी अधिकारी का वेतन 2000-60-2300-द.रो.-75-3200-100-3500 रुपये के वेतनमान में 1-1-1986 से 3200 रु. नियत किया जाता है तथा उनकी अगली वेतन-वृद्धि की तारीख 1-1-1987 होती है।

दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र में समाचार वाचकों और उद्घोषिकाओं की नियुक्ति में बरती जा रही अनियमितताएं

2630. **श्रीमती चन्द्रिका अभिनन्दन जैन** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र में समाचार-वाचकों और उद्घोषिकाओं के चयन में बड़े पैमाने पर मिलीभगत और धांधलेबाजी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार को अब तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ग) क्या सरकार ने उनके चयन के लिये कोई विशेषज्ञ समिति गठित की है;

(घ) उक्त समिति में नियुक्त व्यक्तियों के नाम क्या हैं और उनकी संख्या कितनी है ;

(ङ) वर्ष 1991, 1992 और 1993 के दौरान कुल कितनी उद्घोषिकाओं को स्थायी और अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया और उनके नाम क्या हैं;

(च) क्या यह सच है कि दूरदर्शन द्वारा अनुबंधित आधार पर नियुक्त उन व्यक्तियों ने दूरदर्शन के नियमों का उल्लंघन कर "जी.टी.वी." के लिये भी कार्य करना आरंभ कर दिया है; यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं; और

(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

@**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) हालांकि वर्ष 1991 में नैमित्तिक समाचार वाचकों के पैनल में कोई नया नाम शामिल नहीं किया गया था तथापि, वर्ष 1992 में हिन्दी और उर्दू समाचार वाचकों के पैनल निम्नलिखित तीन नैमित्तिक महिला समाचार वाचकों के नाम शामिल किए गए थे :—

(1) सुश्री अनुपमा गुप्ता—हिन्दी

(2) सुश्री नमिता खन्ना—हिन्दी

(3) सुश्री तस्लीना जैदी—उर्दू

वर्ष 1993 में भी आज की तारीख तक कोई नया नाम शामिल नहीं किया गया है।

@ पूर्वत अतरांकित प्रश्न सं० 3237, 23 दिसम्बर 1992 से स्थानान्तरित।